न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 45/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/162)

1. किशनलाल पुत्र नाथूलाल,
2. कल्याण पुत्र मूलचन्द,
   जाति मीना, निवासी रेटा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. पूनमचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीना, निवासी रेटा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये उपतहसीलदार सिकन्दरा, जिला दौसा।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 12.11.2022 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी पूनमचन्द बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 93/2022 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री मोहम्मद आरिफ, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 19.03.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.11.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 13.06.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि नया खाता संख्या 287, पुराना खाता संख्या 285 के आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 1.2600 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.2600 है0 वाके ग्राम रेटा, पटवार हल्का दुब्बी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छोंकरवाडा, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है। जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है, जो प्रार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थी अपने बुजुर्गान के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 को पटवारी हल्का दुब्बी द्वारा मौके पर जाकर किया गया तथा पर्चा मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया था।

   जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकन्दरा को आदेश दिये गये कि प्रार्थी की ग्राम रेटा, पटवार हल्का दुब्बी, उप तहसील सिकन्दरा में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 1.2600 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.2600 है0 पर पत्थरगढ़ी कायम करवायी जाने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 12.11.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट किशनलाल पुत्र नाथूलाल वगै0 ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 12.11.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना नेचूरल जस्टिस का उलंघन कर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में पड़ौसी काश्तकारान के बाबत स्पष्ट विवाद बताया है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाकर और उक्त निर्णय किया है यदि अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट अपना जवाब देते किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर मात्र जमाबंदी को देखकर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट पडौसी काश्तकार है तथा अपीलान्ट का उक्त भूमि खसरा नंबर 233 के सम्पूर्ण रकबे पर मौके पर कब्जा है, अपीलान्ट ने अपनी स्वयं की भूमि और उक्त भूमि को मिलाकर एक चक बना रखा है रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का उक्त भूमि खसरा नबर 233 के एक भी इंच भू भाग पर कब्जा नही है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायलय ने इस किसी भी बिन्दु पर गौर नही करके और रेस्पो0 नंबर 1 ने उक्त समस्त तथ्यों को छिपाकर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने के लिये अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना उक्त निर्णय पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के मध्य उक्त भूमि बाबत मुकदमे चल रहे है रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के नाम उक्त भूमि के तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 157 ग्राम रेटा दिनांक 15.09.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट ने अपील कर रखी है जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ चल रही है व साथ ही उक्त भूमि बाबत रेस्पो0 नंबर 1 के भाई ने अपीलान्ट व अन्य के खिलाफ एक एफ आई आर नबर 468/2021 थाना सिकन्दरा मे दर्ज करवायी थी जिस पर बाद अनुसंधान उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा मानकर और एफ आर प्रस्तुत की थी जिस एफ आर को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकराय ने मंजूर भी कर लिया है किन्तु रेस्पो0 नंबर 1 ने उक्त तथ्य को छिपाकर तथा झूठे आधारों पर उक्त आदेश पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है। उक्त भूमि की खातेदारी राजेश पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पुरोहित के नाम फर्जी खातेदारी का इन्द्राज हो रहा था उसका कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा उक्त राजेश ने फर्जी विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के नाम करवाया था जिसका फर्जी नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर देने के बाद उप तहसीलदार सिकन्दरा ने मिलीभगत से तस्दीक कर दिया था जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा की गयी अपील चल रही है किन्तु रेस्पो0 नंबर 1 ने उक्त तथ्यों को छिपाकर उक्त निर्णय पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है।

निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सिकराय दिनांक 12.11.2022 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कत्तई जानकारी नही थी सर्वप्रथम बरसात होने पर दिनांक 03.06.2023 को अपीलान्ट उक्त भूमि में काश्त करने हेतु उक्त भूमि को ठीक कर रहे थे तो रेस्पो0 नंबर 1 मौके पर आया और अपीलान्ट को धमकी दी कि उक्त भूमि को खाली कर कब्जा हटा लेना तथा उक्त भूमि मे अब काश्त मत करना मैने उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी का आदेश करवा लिया है और मैं शीघ्र ही उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाकर और उक्त भूमि पर कब्जा करूगा तो अपीलान्ट ने उससे कहा कि तुम बिना हमें सुनवायी का अवसर दिये बिना पत्थरगढ़ी का आदेश कैसे करवा सकते हो तो उसने धमकी दी कि मैनें करवा लिया सो करवा लिया और अब मै शीघ्र ही पत्थरगढ़ी करवाकर कब्जा करूगा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तब अपीलान्ट ने उसे बडी मुश्किल समझा बुझाकर भेजा और उक्त पत्थरगढ़ी के आदेश बाबत उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहाँ दिनांक 05.06.2023 को जाकर जानकारी की तो मालूम पडा कि अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही मात्र राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाकर और रेस्पो0 नंबर 1 ने दिनांक 12.11.2022 को उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी का आदेश करवा रखा है और उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जी को आदेश जारी करवा रखा है तब अपीलान्ट ने दिनांक 05.06.2023 को उक्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 05.06.2023 को मिली तब सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी तब अधिवक्ता नियुक्त कर जानकारी से अन्दर मयाद अपील श्रीमान के समक्ष पेश है। उक्त निर्णय वैसे भी अवैध अमान्य व प्रभावशून्य निर्णय है जिसकी अपील करने की कोई मयाद भी नहीं होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी होते ही जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.11.2022 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का आदेश दिनांक 12.11.2022 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि नया खाता संख्या 287, पुराना खाता संख्या 285 के आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 1.2600 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.2600 है0 वाके ग्राम रेटा, पटवार हल्का दुब्बी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छोंकरवाडा, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है। जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है, जो प्रार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 को पटवारी हल्का दुब्बी द्वारा मौके पर जाकर किया गया तथा पर्चा मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया था। प्रार्थी उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जाकाश्त होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 पारित किये गये। उक्त पत्थरगढी के आदेश की पालना में दिनांक 08.05.2024 को मौके पर खसरा नंबर 233 रकबा 1.2600 है0 की पत्थरगढी की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.11.2022 के विरूद्व की गयी अपील आधारहीन हो चुकी है। अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा

विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 03.06.2023 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकन्दरा को आदेश दिये गये कि प्रार्थी की ग्राम रेटा, पटवार हल्का दुब्बी, उप तहसील सिकन्दरा में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 1.2600 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.2600 है0 पर पत्थरगढ़ी कायम करवायी जाने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 पारित किये गये हैं।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त पत्थरगढी के आदेश की पालना में दिनांक 08.05.2024 को मौके पर खसरा नम्बर 233 रकबा 1.2600 है0 की पत्थरगढी की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.11.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य है।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.11.2022 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर